

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 30/9 /2026

संख्या-1/स्था0 (7) 03/2024-5329/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत तथा सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-23.07.2026 की बैठक की कार्यवाही में की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नवत् सेवानिवृत्त बिहार अभियंत्रण सेवा के 01 (एक) मुख्य अभियंता एवं 01 (एक) अधीक्षण अभियंता को स्तम्भ-4 में अंकित पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम पदस्थापन विभाग/कार्यालय	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	अनुशंसित पद
1	2	3	4
1.	श्री कमल किशोर प्रसाद पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	15.11.1965 30.11.2025	मुख्य अभियंता
2.	श्री इस्तियाज अहमद पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	04.11.1965 30.11.2025	अधीक्षण अभियंता

2. उपर्युक्त संविदा नियोजन निम्नांकित शर्तों के अधीन है :-

(क) यह नियोजन योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा।

(ख) उपर्युक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। समय-सीमा अंतर्गत योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका संविदा नियोजन स्वतः रद्द हो जायेगा।

(ग) संकल्प की कंडिका-3 (2) (क) (vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

(घ) संकल्प की कंडिका-3 (5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) संकल्प की कंडिका-3 (6) (i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका-3 (6) (ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। कंडिका-3 (6) (iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मानदेय का भुगतान मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के स्थापना अन्तर्गत मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(च) संकल्प की कंडिका-(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेगी।

(छ) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति दिए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-20947, दिनांक-25.11.2022 का अनुपालन विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(ज) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

(झ) संविदा नियोजन के पश्चात् किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 03/2024-5330 /पटना-15, दिनांक-30/9/2026

प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 03/2024-5330 /पटना-15, दिनांक-30/9/2026

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य, बिहार, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा/लेखा शाखा/श्री कमल किशोर प्रसाद, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (प्रभारी) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, पता-पलैट नं0-406, ब्लॉक-A, भवानी सिटी, आर0पी0एस0 मोड, दानापुर, पटना, पिन कोड-801503, मो0 नं0-9431619116/श्री इम्तियाज अहमद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, पता-अपार्टमेंट नं0-207, ए0एच0 कॉम्प्लेक्स एकजीविशन रोड, पोस्ट-जी0पी0ओ0, थाना-गाँधी मैदान, पटना, पिन कोड-800001, मो0 नं0-9431003581 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 03/2024-5330 /पटना-15, दिनांक-30/9/2026

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।